अनुच्छेद-51क, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India -

संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;

abide by the Constitution and respect its ideals, institutions, the National Flag and the National Anthem;

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

Cherish and follow the high ideals which inspired our national movement for freedom;

भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

To protect and preserve the sovereignty, unity and integrity of India.

देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

to defend the country and render national service when called upon to do so;

(5) (ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, To promote among all the people of India the spirit of harmony and equal brotherhood transcending all distinctions based on religion, language, region or class and to abandon practices which are derogatory to the dignity of women,

भाईचारा, भेदभाव समाप्त, स्त्रियों का सम्मान ✓

(6) हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

Understand the importance of the glorious tradition of our composite culture and preserve it;

संस्कृति
Culture

प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे; Protect and enhance the natural environment, which includes forests, lakes, rivers and wildlife, and be compassionate towards all living creatures;

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; develop scientific outlook, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
(अ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू ले । safeguard public property and abjure violence; (b) strive continuously towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation may constantly rise and touch new heights of achievement.

(ट) 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। * (इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।) Parents and guardians of children between the ages of 6 and 14 years shall provide them with opportunities for education. * (This duty was added by section 4 of the 86th Constitutional Act, 2002.)

Art. 21(A)
F.D. => 11 वाँ कर्तव्य
लागू => 1 April 2010

संघीय कार्यपालिका

[The Union Executive]

संविधान का भाग - 5, संघ (The Union) से सम्बन्धित है।

Part 5 of the Constitution deals with The Union.

कार्यपालिका (executive)
→ कार्य (function) ⇒ कानूनों को लागू करना
execute of the law's

② राज्य कार्यपालिका
State executive

संघीय कार्यपालिका → Part 5 भाग

Art. 52–78

- → राष्ट्रपति President
- → उपराष्ट्रपति (vice-President)
- → मंत्रिपरिषद (council of Ministers)
- → प्रधानमंत्री (Prime Minister)
- → Attorney Gener (महान्यायवादी)

Art. 52 ⇒ भारत के एक राष्ट्रपति होंगे।
There shall be a President of India.

- अनुच्छेद 52-78 संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचन करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा भारत के महान्यायवादी सम्बन्धी प्रावधान दिये गये है।

  Articles 52-78 discuss about the federal executive. Under this, provisions related to the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and Attorney General of India have been given.

- कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तम्भ हैं Executive, Legislature and Judiciary are the three pillars of Indian democracy

विधायिका

कार्यपालिका

न्यायपालिका

भारत का राष्ट्रपति (The President of India)

- भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति (अनु. 52) है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक (First Citizen) होता है।

In India, the head of the federal executive is the President (Article 52). The President is the first citizen of the country.

राष्ट्रपति पद (Post)
↳ भारत का सर्वोच्च पद (Highest post of India)

संघीय कार्यपालिका -> संवैधानिक या नाममात्र का प्रधान (Constitutional or Nominal Head of Union executive)
⇓
राष्ट्रपति

↳ वास्तविक प्रधान (Real Head) => PM

- संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियाँ उसमें (राष्ट्रपति) निहित हैं; जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है; अनु. 53 [redacted] All the executive powers of the Union are vested in him, which he exercises either directly or through subordinate officers in accordance with the Constitution; Article 53 [redacted]

Art 53 => संघीय कार्यपालिका
union executive => सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी।
All powers of union executive vested in President, लेकिन प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ
अधिकारियों के माध्यम से

अधीनस्थ अधिकारी

⇓

मंत्रिपरिषद् ⇒ प्रधान (Head) ⇒ PM

राष्ट्रपति की योग्यतायें

(Qualifications of The President)

अनुच्छेद 58 के अन्तर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यतायें विहित की गई हैं— **Under Article 58 the following qualifications have been prescribed for the post of President-**

1. वह भारत का नागरिक हो । He should be a citizen of India.

2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा He has completed 35 years of age, and (Minimum Age/न्यूनतम आयु)

3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । He must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha. (लेकिन LS का सदस्य न हो)

(4) लाभ के पद पर न हो
Do not Hold office of the Profit (सरकारी नौकरी न हो)

(5) पागल न हो (Do not unsound mind)

Maximum Age
अधिकतम आयु => संविधान द्वारा निश्चित नहीं।

(6) दिवालिया न हो।

Do not Insolvent

❖ भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य न होगा । A person holding any office of profit under the Government of India, a State Government or any local authority shall not be eligible for the office of President.

❖ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है ।The posts of President, Vice President, Governors of States and Ministers of the Union or States are not considered offices of profit.

PM
CM

❖ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। * 1997 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। A candidate for the presidency must be proposed by at least 50 voters and seconded by 50 voters. * Before 1997, the number was 10-10.

प्रस्तावक (Proposers) ⇒ 50
अनुमोदक (seconders) ⇒ 50
⇒ MP's/MLA's
elected

❖ राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15000रु. है। The security deposit for the post of President is Rs 15,000.

15000 रु०
↳ जमा ⇒ RBI

Q. ⇒ जमानत राशी कब जब्त (seized) होती है?

total valid votes × 1/6
कुल वैध मतों का × 1/6
⇒ अगर प्राप्त नहीं होगा तो जमानत राशी जब्त होगी।

Q. ⇒ राष्ट्रपति निर्वाचन जीतने के लिए कितने वोट चाहिए?
⇓
कुल वैध मतों का 50%+1
total valid votes × 50%+1
ex. 20,000 × 50%+1

- किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है । If a candidate fails to secure 1/6th of the total valid votes, his security deposit is forfeited.

Art-59

- राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जायेगा | The President shall not be a member of any House of Parliament or State Legislature. If he is a member of these before the election, then his seat in that House shall be deemed to be vacant from the date of assuming office. Art. 59

❖ राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता [redacted] The President cannot hold any other office during his term. [redacted]

Art. 59

राष्ट्रपति => संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो।

MP ✗
MLA ✗
MLC ✗

अगर MP/MLA/MLC हो तो ?

⇓

तो फिर जिस दिन वह राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा उस दिन उसका पद उस सदन में जिसका वह सदस्य है, रिक्त समझा जायेगा।

❖ अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन (Re-election) के लिए योग्य है Article 57 states that a person is eligible for re-election to the office of President

एक व्यक्ति कितनी भी बार
राष्ट्रपति बन सकता है।
eg. => डा० राजेन्द्र प्रसाद (दो बार भारत के राष्ट्रपति बने।)

राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल

(Electoral College of The President)

अनुच्छेद 54

निर्वाचन => मतदाता (voters)

(i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा तथा राज्य सभा) के निर्वाचित सदस्य* तथा (i) Elected members of both the Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha)* and

elected MP's

निर्वाचित सांसद

(ii) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।

There will be elected members of the Legislative Assemblies of the States.

elected MLA's

निर्वाचित विधायक

❖ 70 वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा 'पुदुचेरी' संघ शासित राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल कर लिया गया है। By the 70th Constitutional Amendment (1992), the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry have also been included in the electoral college of the President

Delhi, Puducherry, J K → elected MLA's

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, → Art. 55

Manner of Election of The President)

राष्ट्रपति का चुनाव ' अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली' द्वारा किया जाता है । अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गयी है ।

The President is elected by 'indirect election system'. The method of election of the President is given in Article 55.

- राष्ट्रपति का निर्वाचन "आनुपातिक प्रतिनिधित्वपद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा The election of the President shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote system.
- ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा The voting at such election shall be secret

secret-voting

राष्ट्रपति की पदावधि
(Term of Office of The President)

- अनुच्छेद - 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। **According to Article 56, the President holds office for a term of five years from the date on which he assumes office.**

Art. 56 -> कार्यकाल (Tenure) => 5 वर्ष (पद ग्रहण दिन से)

- कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। He can submit his resignation to the Vice President at any time.

Q ⇒ क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् पद धारण कर सकते हैं?
↳ हाँ

- तब तक अपना पद धारण किये रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी (नया राष्ट्रपति) अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। He continues to hold office until his successor (the new President) assumes office.

❖ राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।

When the President gives his resignation to the Vice President, the Vice President immediately informs the Speaker of the Lok Sabha about it.

राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति

(Fulfill the Vacancy of President)

अनुच्छेद 62

❖ यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जायेगा । If the post of President falls vacant due to death, resignation, impeachment or any other reason, then elections will be held within 6 months to fill it.

- जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारण से) रिक्त होता है तो उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। When the office of the President falls vacant accidentally (due to death, resignation, removal or any other cause), the Vice-President acts as Acting President.

- उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। If the post of Vice President is also vacant, then the Chief Justice of India and in the event of vacancy of the post of Chief Justice, the senior-most judge of the Supreme Court acts as the acting President.

- एम॰ हिदायतुल्लाह भारत के एक मात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था । M. Hidayatullah is the only Chief Justice of India who served as Acting President from 20 July 1969 to 24 August 1969.

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

(Oath or Affirmation by the President

अनुच्छेद 60 ⇒ शपथ

⇓

राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (chief justice of supreme court) दिलाते हैं।

राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ एवं भत्ते

(The Emoluments and Allowances of the President)

- संसद विधि द्वारा नियत करे Parliament may by law appoint
- राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है । The President's salary is paid from the Consolidated Fund of India, which is exempt from income tax.

→ Art. 59

Determined

→ निर्धारित

→ Art. 266

→ संसद (नियंत्रण)

→ 5 लाख रु० / Per Month

राष्ट्रपति पर महाभियोग

Impeachment of the President

- अनुच्छेद 61 इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण (Viola- tion) किये जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) चलया जा सकता है। Article 61 According to this, if the President violates the Constitution, impeachment can be initiated against him.

- महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है । Impeachment is a quasi-judicial process conducted by the Parliament.

- महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।" A motion of impeachment can be introduced in either House of Parliament."

राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद

- अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति केचुनाव सम्बन्धी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा। **Article 71 states that disputes relating to the election of the President and Vice-President shall be decided by the Supreme Court and its decision shall be final.**